्राजस्थान सरकार नगरीय विकास निभाग

24 NOV 2010

कमांक प्रें (119)नविवि/3/09

ととううういろい

days, Gina

ः परिपत्रः

विषय:—राज. भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 2007 राज. नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3 (1) में सम्मिलित क्षेत्रों/ड्रॉफ्ट मास्टर प्लान में अम्मिलित क्षेत्रों/पैरीफेरी क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में।

नगरीय क्षेत्र के निरन्तर विस्तार के कारण स्थानीय निकायों को नगरीय क्षेत्र में जन सुविधाओं / विकास कार्यो पर व्यय करना पड़ता है। राज्य के अनेकों शहरों के मास्टर प्लॉन बनाये जा रहे हैं, जिसके लिये नगर विकास न्यास अधिनियम, 1959 की धारा (3) के तहत संबंधित शहर को नगरीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। इनमें से कई शहरों के ड्राफ्ट मास्टर प्लॉन भी अधिसूचित किये गये हैं तथा शीघ्र ही इन्हें अंतिम रूप दिया जाना है। नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इन क्षेत्रों का विकास अपने वर्तमान आर्थिक संसाधनों से वहन कर सकें। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी विभाग को निर्देश दिये गये हैं कि नगरीय निकायों की आर्थिक स्थित मजबूत करने के लिये सभी संभव प्रयास किये नावें।

अतः इस संदंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जादेः –

- 1. ड्राफ्ट मास्टर प्लॉन में सम्मिलित क्षेत्र में स्थित भूमि की राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—बी के अन्तर्गत कार्यवाही कर सम्पूर्ण राशि संबंधित नगर विकास न्यास / नगर निकाय में जम करवाई जावे।
- 2. राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) में अधिसूचित क्षेत्र में भी धारा 90-बी के तहत की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण राजस्व राशि भी संबंधित नगर विकास न्यास/नगर निकाय में जमा करवाई जावे।
- जिन शहरों में मास्टर प्लॉन नहीं बने हैं, उनके पैरीफंरी बेल्ट क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रुपान्तरण राज. भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में



कृषि भूगि को अकृषि प्रयोजनाथी रूणन्तरण) नियम, 2007 के अन्तर्गत न्वर्यनां की जा संकृषी भगर कृषि भूगे का अकृषि प्रयोजनार्थ रुपान्तरण करते समय टाउनशिप पांतिसी 01012000 अथवा अई टाउनशिप गीति, 2010 जो भी लागू हो, के अन्तर्गत निर्धारित व समय समय पर संशोधित ग्रह्य विकास शुल्क की राशि सर्वाचेत नगरीय / रथानीय निकाय में जमा करवाये जाने के पृथ्वात् ही रुपान्तरण आदेश जारी किये जावे। इस राशि से संबंधित निकाय क्षेत्र कर विकास कर सकेगी।

(गुरदयात सिंह रांधु) प्रमुख शासन सिंवव 0

0

0

0

0.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर :

- 2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग।
- 3. उप त्तचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।

4. प्रमुख शासन सचिव, राजरव विभाग।

- 5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज, जयपुर।
- शास्त्र सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयप्र।

संभागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान, जयपुर।

- आयुक्त/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
- 9. जिला कलेक्टर (समस्त), राजस्थान, जयपुर।
- 10. सचिव, नगर विकास न्यास (समरत)
- 11. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपूर।
- 12. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रषित कर लेख है कि परिपत्र को समस्त नगरीय निकावों में सर्जु लेट करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

13. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शस्ति संचेव